

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13-14 / 2009 / आ.प्र. / 1-3,
प्रति

नया रायपुर, दिनांक २५ / ०४ / 2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समरत संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.

विषय :— छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012.

संदर्भ :— इस विभाग के संमस्ख्यक पत्र दिनांक 09.04.2012 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 04.12.2012

—
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14 / 2009 / आप्र / 1 / 3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी अनुसूची "दो" प्रतिस्थापित की गई है। उक्त अधिसूचना का संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14 / 2009 / आप्र / 1 / 3, दिनांक 15.01.2013 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

N
25/4/13
(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ 13-14 / 2009 / आ.प्र. / 1-3,
प्रतिलिपि:—

नया रायपुर, दिनांक २५ / ०४ / 2013

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर।

6. माननीय मंत्रींगण/राज्यमंत्रींगण/संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक, छत्तीसगढ़।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग।
16. अध्यक्ष, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0।
17. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
18. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।
19. राज्य सूचना एवं प्राद्योगिकी मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25/4/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

“प्रिनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013—माघ 3, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ.13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

- सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जनजाति 63 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “41”, के पश्चात्, अंक एवं अल्प विवरम “43,” अन्तःस्थापित किया जाए।
- सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अ.पि.व. 14 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “96” के स्थान पर, अंक “97” प्रतिस्थापित किया जाए।
- सरल क्रमांक 24 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जनजाति 84 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) के अंक “36,” के पश्चात्, अंक एवं अल्प विवरम “37,” अन्तःस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 15 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव।

Raipur, the 15th January 2013

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jantiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule-II of the said rules,—

1. After the figure “41,” of column (5) of serial number 21, against entry “ST 63%” of column (4), the figure and comma “43,” shall be inserted.
2. For the figure “96” of column (5) of serial number 21, against entry “OBC 14%” of column (4), the figure “97” shall be substituted.
3. After the figure “36,” of column (5) of serial number 24, against entry “ST 84%” of column (4), the figure and comma “37,” shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13-1/2012/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 17/06/2013
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.

विषय :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012.

संदर्भ :- इस विभाग के परिपत्र क. एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक
09.04.2012 एवं समसंब्यक्त पत्र दिनांक 04.12.2012.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ
13-14/2009/आप्र/1/3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी अनुसूची "दो"
प्रतिस्थापित की गई है। उक्त अधिसूचना का संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ
13-1/2012/आप्र/1/3, दिनांक 23.05.2013 राजपत्र (असाधारण) में
प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
है।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

N/16/13
(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
M/16/13

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 गई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-1/2012/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जाति 17 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) में अंक “5” के स्थान पर, अंक “2” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (4) की प्रविष्टि “अनु. जनजाति 5 प्रतिशत” के सामने, कॉलम (5) में अंक “1” के स्थान पर, अंक “8” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 31/07/2013
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012.

संदर्भ :- इस विभाग का संमस्ख्यक पत्र दिनांक 09.04.2012 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 04.12.2012

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आप्र/1/3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी "अनुसूची-दो" प्रतिस्थापित की गई है, जिसमें संभाग तथा जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर दर्शाया गया है। उक्त अनुसूची में सरल क्रमांक 19, 23, 24 एवं 25 में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन किया गया है, जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आप्र/1/3, दिनांक 27.06.2013 जो राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई है, की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

31/07/13
(एम.आर.ठाकुर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

31/07/13

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक रुपक के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

- सरल क्रमांक 19., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 62 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “35,” के स्थान पर अंक “33,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 23., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 76 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “53,” के स्थान पर अंक “52,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 24., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 7 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “67,” के स्थान पर अंक “66,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 25., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “35,” के स्थान पर अंक “33,” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक इकूल के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

- सरल क्रमांक 19., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 62 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “35,” के स्थान पर अंक “33,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 23., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 76 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “53,” के स्थान पर अंक “52,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 24., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 7 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “67,” के स्थान पर अंक “66,” प्रतिस्थापित किया जाये।
- सरल क्रमांक 25., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “35,” के स्थान पर अंक “33,” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 27-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव।

New Raipur, the 27th June 2013

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-II of the said rules,—

1. For the figure and comma “35,” of column (5) of serial number 19., against entry ST 62% of column (4), the figure and comma “33,” shall be substituted.
2. For the figure and comma “53,” of column (5) of serial number 23., against entry ST 76% of column (4), the figure and comma “52,” shall be substituted.
3. For the figure and comma “67,” of column (5) of serial number 24., against entry OBC 7% of column (4), the figure and comma “66,” shall be substituted.
4. For the figure and comma “35,” of column (5) of serial number 25., against entry OBC 14% of column (4), the figure and comma “33,” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 3 की अनुसूचियों में संशोधन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-11-2012 के अंग्रेजी अनुवाद को निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जाए, अर्थात् :—

सरल क्रमांक 19., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक “10,” के स्थान पर अंक “12,” अंक “20,” के स्थान पर अंक “18,” अंक “31,” के स्थान पर अंक “33,” अंक “41,” के स्थान पर “39,” तथा अंक “70,” के स्थान पर अंक “68,” अंक “81,” के स्थान पर अंक “83,” अंक “91,” के स्थान पर अंक “89,” पढ़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव।